न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/256

तारीख दायर :– 02/11/2018

2018/00338

उनवान

1. शकुन्तलादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
2. पूजादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
3. कान्तादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
4. पप्पीदेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक सभी निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीनीगण।

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नि स्व0 ओमकार जाति खटीक
2. रामसिंह पुत्र ओमकार जाति खटीक
3. किरोडी पुत्र ओमकार जाति खटीक सीाी बालिग निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–असल प्रतिवादीगण।

4. विमलादेवी पुत्री देव्या जाति चमार निवासी नारायणपुर
5. पंकजकुमार माता गुडडीदेवी जाति चमार निवासी नारायणपुर
6. सुमनबाई माता गुडडीदेवी जाति चमार निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– तकमीलीप्रतिवादीगण ।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

॥ दावा अन्तर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ॥

उपस्थिति :–

1. श्री रामकरण चौपड़ा एडवोकेट वादीगण।

2. श्री राजेश कुमार चौपड़ा एडवोकेट प्रतिवादीगण।

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा :—

निर्णय

दिनांकः—.05.02.2019

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में खाता संख्या 632 आराजी ख. नं. 2989 रकबा 1.25 हैक्टर, 2990 रकबा 0.01 हैक्टर किता 02 रकबा 1.26 हैक्टर एंव खाता संख्या 244 आराजी खसरा नम्बर 2991 रकबा 1.01 हैक्टर स्थित चली आती हैं जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपरोक्त विवादित आराजी की वादीनीगण व असलप्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के काबिज काश्तकार खातेदार चली आती है विवादित आराजी पर वादीनीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करती आ रही है जिस विवादित आरजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी संख्या 1 का नाम सुन्दरकला, वादी संख्या 2 का नाम लाली／लक्ष्मी, वादी संख्या 3 का नाम चन्दरकला दर्ज है एवं खाता संख्या 244 में पिता का नाम किरोडीलाल दर्ज है। जो गलत दर्ज किया हुआ है। जबकि वादीनीगण का नाम उनके नाम जारी आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में शकुन्तलादेवी, पूजादेवी, कान्तादेवी दर्ज हैं जो बिल्कुल सही दर्ज हैं तथा पिता का नाम अन्य खाता संख्या 632 में ओमकार सही दर्ज हैं जो सही है।

उपरोक्त विवादित आराजी वादीनीगण की कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस विवादित आराजी पर आज भी मौके पर वादीनीगण काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। वादीनीगण कानून की जानकारी नही रखती है जो ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली पर्दानसीन महिला है। जब वादीनीगण दिनांक 16.10.2018 को अपने उपरोक्त विवादित आराजी खाता पर बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से अपने रिकार्ड की नकुलात प्राप्त की और उसके बाद बैक आदि में गयी तो वादीनीगण उपरोक्त आराजी रिकार्ड में एवं अन्य राजस्व रिकार्ड व दस्तावेज राशनकार्ड आधार कार्ड आदि में स्वयं व पिता के नाम अलग अलग नाम दर्ज होने एवं नाम में भिन्नता होने के कारण वादीनीगण की किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली पूर्ण नही हो सकी। वादीनीगण का नाम व पिता का नाम अलग अलग दर्ज होने एवं नाम में भिन्नता होने के

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

कारण वादीनीगण की किसान केडिट कार्ड की पत्रावली पूर्ण नही हो सकी। वादीनीगण का नाम व पिता का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादीनीगण को भारी मानसिक परेशानी हो रही है। वादीनीगण का नाम सुन्दरकलां के बजाय शकुन्तलादेवी , लाली/लक्ष्मी के बजाय पूजादेवी व चन्दरकला के बजाय कान्तादेवी व पिता का नाम किरोडीलाल के बजाय ओमकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाया जाकर दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

वादीनीगण का व पिता का नाम उक्त खाता के अलावा अन्य खाते में राशनकार्ड आधार कार्ड आदि में एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण वादीनीगण को भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान हो रहा है। राजकीय सेवाओ, कृषि ऋण आदि सुविधाओ से वंचित रहना पड रहा है। मुन्तकिली आदि से वंचित रहना पड रहा है। इसलिये न्यायहित में वादीनीगण का व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सुन्दरकलां के बजाय शकुन्तलादेवी, लाली/लक्ष्मी के बजाय पूजादेवी व चन्दरकला के बजाय कान्तादेवी व पप्पी देवी के पिता का नाम किरोडीलाल के बजाय ओमकार दर्ज किया जाकर जर्ये अदालत दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ हैं जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ला. 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण असल संख्या 1 ला. 3 बावजूद तामील उपस्थित जिनके द्वारा न्यायालय हाजा उपसंजात होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया बाद तस्दीक सामिल पत्रावली किया गया राजीनामा में अंकित किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वादिनीगण का दावा डिकी फरमा दिया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादनीगण का नाम सुन्दरकला के बजाये शकुन्तला देवी, लाली/लक्ष्मी के बजाये पूजा देवी व चन्द्रकला के बजाय कान्तादेवी व पप्पी देवी के पिता का नाम किरोडी लाल के बजाए ओमकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाता है। तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। जिससे हम प्रतिवादीगण राजी व सहमत है राजीनामा सामिल पत्रावली है। इसके अलावा तरतीबी प्रतियादी संख्या 4 लगा. 6 के खिलाफ दावा में कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत वादीनीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो भी सामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

न्याया

विद्वान अधिवक्ता वादीनीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि वादनीगण का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाकै ग्राम नारायणपुर में खाता संख्या 632 व 244 में वादनी संख्या 1 का नाम सुन्दरकला वादनी संख्या 2 का नाम लाली/लक्ष्मी वादनी संख्या 3 का नाम चन्द्रकला दर्ज है एवं खाता संख्या 244 में पिता का नाम किरोडीलाल दर्ज है जो गलत दर्ज है। अतः वादनीगण का नाम सुन्द्रकला के बजाय शकुन्तलादेवी, लाली/लक्ष्मी के बजाये पूजा देवी, चन्द्रकला के बजाये कान्तादेवी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे तथा वादनीगण के पिता का नाम किरोडीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकी किरोडी लाल वादनीगण का माँ जाया भाई है जिसकी जगह पिता का नाम ओमकार दर्ज कराया जावे वादनीगण के दावे को उक्तानुसार डिकी करने बाबत प्रतिवादीगण असल द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दावा डिकी करने एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा सहमती प्रदान की गई है। अतः मुताबिक राजीनामा दावा डिकी करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीनीगण की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2069—2072 वाकै ग्राम नारायण्पुर के खाता संख्या 244 में वादनीगण का नाम व उनके पिता का नाम गलत दर्ज किया हुआ है। वादनीगण का नाम घर में बोले जाने वाले नाम को दर्ज किया गया है जो आधार कार्ड में दर्ज नामों के खिलाफ है तथा वादनीगण के पिता का नाम खाता संख्या 244 में किरोडी लाल दर्ज किया गया है जबकि किरोडी लाल वादनीगण का सगा भाई है जो खाता संख्या 632 कि जमाबंदी से प्रमाणित है इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्रनुसार सुन्दरकला उर्फ शकुन्तला लाली उर्फ पूजा चौहान, चन्द्रकला उर्फ कान्ता चौहान पुत्रियान ओमकार के नाम प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमे तीनो को उपरोक्त दोहरे नामों से जाना जाता है। अंकित किया गया है अब वादनीगण राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक रूपता लाने के लिए अपना एक ही नाम आधर कार्ड वगैरा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चहाती है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण असल द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसमें नाम दुरुस्त करने बाबत सहमती प्रदान की गई है राजीनारमा बाद

प्रखण्ड अधिकारी
ग्रामपंचायत (3...)

Scanned by CamScanner

तस्तदीक सामिल पत्रावली है अतः उपरोक्त सभी तथ्यो के परिपेक्ष में दावा वादीनीगण डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता हैं

अतः आदेश हे कि दावा वादीनीगण बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाता है। तथा खाता संख्या 632 आराजी खसरा नम्बर 2989 रकबा 1.25 है0 2990 रकबा 0.01 है0 एवं खाता संख्या 244 खसरा नम्बर 2991 रकबा 1.01 है0 वाकै गाम नारायणपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादनीगण का नाम सुन्दरकला के बजाए शकुन्तलादेवी लाली/लक्ष्मी के बजाए पूजादेवी व चन्द्रकला के बजाये कान्तादेवी दुरूस्त करने व समस्त वादिनीगण के पिता का नाम किरोडीलाल के बाजाये ओमकार दर्जकर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/256

तारीख दायर :– 02/11/2018

उनवान

1. शकुन्तलादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
2. पूजादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
3. कान्तादेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक
4. पप्पीदेवी पुत्री ओमकार जाति खटीक सभी निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीनीगण।

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नि स्व0 ओमकार जाति खटीक
2. रामसिंह पुत्र ओमकार जाति खटीक
3. किरोडी पुत्र ओमकार जाति खटीक सीी बालिग निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–असल प्रतिवादीगण।

4. विमलादेवी पुत्री देव्या जाति चमार निवासी नारायणपुर
5. पंकजकुमार माता गुडडीदेवी जाति चमार निवासी नारायणपुर
6. सुमनबाई माता गुडडीदेवी जाति चमार निवासी नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– तकमीलीप्रतिवादीगण।

॥ दावा अन्तर्गत धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ॥

उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

उपस्थिति :–

1. श्री रामकरण चौपड़ा एडवोकेट वादीगण।

2. श्री राजेश कुमार चौपड़ा एडवोकेट प्रतिवादीगण।

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा :–

पर्चा डिक्री दिनांकः–.05.02.2019

दावा वादीनीगण बरूवे राजीनामा डिकी किया जाता है। तथा खाता संख्या 632 आराजी खसरा नम्बर 2989 रकबा 1.25 है0 2990 रकबा 0.01 है0 एवं खाता संख्या 244 खसरा नम्बर 2991 रकबा 1.01 है0 वाकै गाम नारायणपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादनीगण का नाम सुन्दरकला के बजाए शकुन्तलादेवी लाली/लक्ष्मी के बजाए पूजादेवी व चन्द्रकला के बजाये कान्तादेवी दुरूस्त करने व समस्त वादिनीगण के पिता का नाम किरोडीलाल के बाजाये ओमकार दर्जकर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner